भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
तथा
स्वास्थ्य एवं मानवीय सेवाएँ विभाग के संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन,
के मध्य समझौता जापान

निर्यात निरीक्षण परिषद (ई.आई.सी.), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसीआई) तथा संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन, (एफ. एच. एच.), स्वास्थ्य और मानवीय सेवाएँ विभाग (एच. एच. एच.), ई.आई.सी. तथा एफ. एच. एच., इसके परत्वात संयुक्त तौर पर "प्रतिभागियों" तथा अकेले "प्रतिभागी" के रूप में निर्देशित हैं, व्यापार की सुविधा के लिए खाद्य सुरक्षा एवं खाद्य रक्षा को बढाना देने में, सामरिक तथा प्रभावात्मक सहयोग, संचार तथा संचार विनिमय के महत्व को स्वीकार करते हैं। प्रत्येक प्रतिभागी दुर्गा विनियमित खाद्य एवं खाद्य सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उनकी नियामक प्रणाली द्वारा अदा की जा रही महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति, दोनों प्रतिभागी आपसी उच्च सम्मान साझा करते हैं। दोनों प्रतिभागी, वैज्ञानिक एवं नियामक क्षेत्रों में विद्यमान सहयोग को मजबूत करने की इच्छा रखते हैं।

1. उद्देश्य

इस समझौता जापान का उद्देश्य, प्रतिभागियों द्वारा विनियमित खाद्य उत्पादों से संबंधित नियामक, वैज्ञानिक और तकनीकी नामों तथा लोक स्वास्थ्य सुरक्षा के संदर्भ में आपसी सहयोग के लिए अवसरों को विकसित करना है। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों द्वारा एक-दूसरे की, नियामक शर्तों तथा कुछ खाद्य उत्पादों में जोखिम मूल्यांकन योग्यता, पर विशेषता बढ़ने के प्रश्नों यह समझौता जापान प्रतिभागियों के मध्य उद्याद विशेष समझौता जापान के लिए, अग्रणी के रूप में सहायक हो सकता है।

दोनों प्रतिभागी, पारंपरिक आभार जन स्वास्थ्य परिवर्तनों के सम्बन्ध में विशेषज्ञता को साझा करने में तथा खाद्य सुरक्षा को बढाना देने में, समान क्षेत्र रखते हैं। आपसी हित की गतिविधियों को, प्रतिभागियों के निशान तथा सामरिक योजनाओं के अनुरुप विकसित किया जा सकता है।

दोनों प्रतिभागी, इस समझौता जापान के प्रयोजन के क्रियान्वयन के लिए, अपने-अपने कानूनों एवं विनियमों के अनुसार, आवश्यकताओं पर परम्परा बनाकर काम करने की इच्छा रखते हैं। इस कार्य का प्रयोजन, सूचना के प्रभावी विनिमय को सुविधाजनक बनाना, मौजूदा सहकारी प्रणाली/पहचान को मजबूत करना या नए सिरे से विकसित करना तथा आवश्यकताओं अनुसार अन्य देशों एवं हितधारक समूहों के साथ उनके देश के उत्पाद विनियम अनुसार या व्यापक वैज्ञानिक संबंधों में, सहयोग करना है।

11. कार्यक्षेत्र

यह समझौता जापान, दोनों प्रतिभागियों द्वारा विनियमित खाद्य उत्पादों को समावेश करता है।

दोनों प्रतिभागी, सूचना विनिमय, क्षमता निर्माण तथा विनियम सहयोग को मजबूत बनाने के लिए योजनाओं के विकास हेतु, नियमित बैठकों तथा अन्य प्रकार के सहयोग के लिए, तंत्र/प्रक्रियाओं की खोज के इच्छुक हैं।

इस समझौता जापान के तहत योजनाबद्ध एवं निम्नांकित की जाने वाली गतिविधियों में, लेकिन इन तक सीमित नहीं, निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हो सकती हैं।

1 | पृष्ठ
(क) सामान्य तथा/अथवा आपत्कालीन परिस्थितियों के लिए, विनियमक तथा जन स्वास्थ्य सुरक्षा के सामान्यक आदान-प्रदान के लिए प्रक्रियाओं के विकास की खोज।
(ख) प्रतिभागियों की नियामक प्रणाली के संबंध में जान तथा समझ को बढ़ाने में सहयोग तथा जब भी संभव हो, प्रतिभागियों के संसाधनों के इस्तेमाल में ऐसे अवसरों की खोज जिससे प्रतिभागियों द्वारा विनियमित उत्पादों के सुरक्षा तंत्र के विस्तार में मदद हो सकें। गतिविधियों में शामिल हो सकती हैं:
- उपाद अवशोषित, रिकॉर्ड, खाताई एवं उनकी सामग्री के संदर्भ या अन्य परिस्थितियों जो संबंधित: जन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं, की स्थिति में लागू आकर्षित अधिसूचना कार्यवाहिकों के बारे में जानकारी साझा करना।
- जॉन्स (प्रतिणिधियों या पूर्व) से निकलने वाली सूचना का आदान-प्रदान करना, जब प्रतिभागियों द्वारा की जा रही जांच उपाद संबंधित जोखिम से संबंधित रहें।
- प्रतिभागियों द्वारा किये जाने वाले खाताई निरीक्षणों में प्रश्न के रूप सहयोगात्मक भागीदारी अर्थात् दोनों प्रतिभागियों की निरीक्षण प्रणाली की बेहतर समझ प्राप्त करने हेतु, ई-आई.एच.शी. नेतृत्व वाले निरीक्षणों में एफ.डी.ए. तथा एफ.डी.ए. नेतृत्व वाले निरीक्षणों में ई-आई.एच.शी. प्रश्न के रूप में विज्ञापन में सकते हैं।
- एक-दूसरे के देश में, खाताई निरीक्षणों द्वारा प्रतिभागियों के कालेन्दर द्वारा निर्दिष्ट वर्तमान आदेश निवृत्त व्यवहारों (गुड मैनपुलेशन रिक्रिएटिंग) के अनुपालन में दिलाई के बारे में सूचना साझा करना; तथा 
- विनियमक निरीक्षण तथा विज्ञापन अधयापित निम्न क्रियाक्रम पर लागू जानकारी साझा करना।
(ग) एफ.डी.ए., ई-आई.एच.शी. को अपने खाताई सुरक्षा या विनियमक प्रणाली के आलोचनात्मक या अन्य संस्था द्वारा सूचनाओं के नतीजों को साझा करने का अनुमोदन कर सकता है वहाँ ई-आई.एच.शी. ऐसे करने के लिए उच्च अंतर हो।
(घ) उपयुक्त ज्ञान एवं शक्ति निवृत्त गतिविधियों में सहयोग जैसे कि:
- संगठन वैज्ञानिक बैठकों, परिसंचार, संगठनों तथा अन्य उपयुक्त अवसरों में भाग लेना जो कि किसी भी प्रतिभागी द्वारा आयोजित किए जा सकते हैं।
- विनियमक निरीक्षण तथा नियमित विज्ञापन का माध्यम से खाताई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सहयोगात्मक गतिविधियों के विकास की खोज।
- आपसी व्यवस्थानूर्जन, तकनीकी विशेषज्ञों, संगठन तकनीकी सामग्री तथा उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों (जैसे कि, खाताई निरीक्षण, गुड एक्सक्लायर प्रिंटिंग, समृद्ध खाताई एच.पी.एच.सी.सी. संलेखों, मसाला एवं वस्त्र स्थानक खाताई सुरक्षा प्रिंटिंग, गुड एच.एच.सी.सी. प्रिंटिंग, खाताई सुरक्षा योजना सूचना एवं गतिविधियों इन्टरफेसके अदान-प्रदान को बढ़ावा एवं सहयोग देना।
- विभिन्न उपयुक्त अन्तरराष्ट्रीय अवसरों एवं गतिविधियों में भागीदारी के माध्यम से नियामक मानकों दिशानिर्देशों तथा सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी बढ़ाना तथा इन अवसरों का प्रयोग अधिक नियमित रूप से संबंधित प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित देने में करना।
- वर्तमान गुड लैबरेटरी प्रिंटिंग तथा गुड रेगुलेटरी प्रिंटिंग के प्रयोग में सहयोग तथा तकनीकी जानकारी साझा करना।
- जोखिम प्रबंधन उपायों, पोषण एवं उपाद लेबलिंग तथा खाताई सुरक्षा मानकों का अन्तरराष्ट्रीय समान्य, जैसे क्षेत्रों से संबंधित सूचना के आदान-प्रदान के लिए अवसरों की खोज।
(५) ई.आई.सी. की नियुक्त निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण प्रणाली की स्वीकार्यता के संदर्भ में एक.डी.ए. मूल्यांकन की संस्थान के विकास की खोज।
(६) विभिन्न मंचालयों एवं अभियारण, राज्य एवं स्थानीय सरकारों, उद्योग एवं व्यापार समूहों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थाओं, पश्चिम दीर्घायति तथा अन्य संगठन हिताधिकारी के साथ संबंध स्थापित करते हुए, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में इस समझौता जापन के संपोषण को प्रोत्साहित करना।
(७) समाजवादी सहकारता तथा क्रियान्वयन का रिपोर्ट में प्राप्त दस्तावेज की समीक्षा, दूरसंचार संबंधों एवं पताकाधिकार की मजबूती तथा सुधार के लिए चिंताएँ एवं मामलों का निपटान तथा उपयुक्त प्रतिबंधित सहयोग के लिए नए क्षेत्रों की पहचान हेतु, प्रतिभागियों के वार्ता नेतृत्व एवं कर्मचारियों के लिए आवधिक चलनों का (समकाल अथवा ओर गॉफ्रेस द्वारा) आयोजन सुरमन नामक।

III. गोपनीयता

(५) दोनों प्रतिभागी इच्छा रखते हैं कि इस समझौता जापन के अन्तर्गत आदान - प्रदान की जाने वाली अधिकतम जानकारी, संचारण प्रतिभागी के कानून के तहत सार्वजनिक प्रसार के लिए उपयुक्त रूप में उपलब्ध कराई जाए।
(६) किसी भी गैर- सार्वजनिक सूचना का आदान-प्रदान, प्रतिभागियों द्वारा हस्ताक्षरित गोपनीयता प्रतिबंधित तथा अन्य कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए।

IV. लिपि ब्रोत

प्रत्येक प्रतिभागी स्वीकारता है कि विनियुक्त धारणाशी, कार्यक्रम तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार संचालन स्तर पर तथा, इस समझौता जापन के अन्तर्गत केवल अपनी गतिविधियों के लिए व्यय एवं क्रियान्वयन करेगा।

V. गैर बाध्यकरी

यह समझौता जापन कोई बाध्य दायित्व नहीं लागू करता है। इस समझौता जापन में ऐसा कुछ नहीं है जो, इनके वाणूगतिक एवं विविध अनुसूचि के नियम क्रियाकलापों तथा कार्यक्रमों के संचालन में, प्रतिभागियों के उल्लंघनों या क्षमताओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता हो।

VI. विवाद

दोनों प्रतिभागी इच्छा रखते हैं कि इस समझौता जापन के तहत उपयुक्त कोई विवाद, प्रतिभागियों के पारंपरिक, विवाद-विवाद तथा वाणू द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जायेगा।

VII. अवधि और प्रक्रिया

दोनों प्रतिभागी इच्छा रखते हैं कि यह समझौता जापन प्रतिभागियों द्वारा हस्ताक्षर करने पर लागू हो जाए तथा पाँच सप्तक तक अवधि के अंत जारी रहे। दोनों प्रतिभागी यह भी इच्छा रखते हैं कि यह समझौता जापन आपसी लिखित निर्देश के आधार पर संशोधित किया जा सकता है तथा संशोधनों के लागू होने की तारीख को स्पष्टतया दशकों जाना चाहिए।
दोनों प्रतिभागी यह नियत करते हैं कि इस समझौता जापन की अवधि प्रतिभागियों के परस्पर निर्णय के आधार पर विस्तारित की जा सकती है।

दोनों प्रतिभागी यह समझते हैं कि यह समझौता जापन किसी प्रतिभागी दुनिया बंद या निरस्त किया जा सकता है। प्रतिभागी दुनिया इस समझौता जापन को निरस्त करने की अपनी इच्छा के बारे में दूसरे प्रतिभागी को साध (60) कैलेंडर दिनों की अधिम लिखित सूचना देने का प्रयास करना चाहिए।

VIII. संयंक बिनु

दोनों प्रतिभागी इस समझौते के तहत सुधार सहयोग सुनिश्चित करते हैं तथा इच्छा रखते हैं कि इस समझौता जापन से संबंधित अवधि में सभी संचार निर्देश लिखित को संबोधित किया जाए।

सहयोगी आयुक्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम
अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम कायादश
संयुक्त राज्य खाद्य एवं आयुष्ध प्रशासन
10903 नयू हैप्पशायर एवेन्यू
सिट्यर सिंघ, एम.डी. 20993
संयुक्त राज्य अमेरिका
दूरभाष : +1.301.796.4600
फैक्स : +1.301.595.7937

2015 की 23 मार्च को नई दिल्ली में, अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में दो मूल प्रतियों में हस्ताक्षरित हुआ।

उप आयुक्त,
संयुक्त राज्य खाद्य एवं आयुष्ध प्रशासन

---/S/---

माइकल आर. टेलर
उप आयुक्त
खाद्य एवं पशुचिकित्सा दिवार्ड
---/S/---

हावर्ड आर. स्क्लैमबर्ग, जे.डी.
उप आयुक्त
शैक्षिक निर्देशक संचालन एवं नीति